

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 213] नई दिल्ली, बौद्धवार, मई 3, 1984/वैशाख 13, 1906  
No. 213] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 3, 1984/VAISAKHA 13, 1906

वर्गीकरण मंत्रालय

नियति व्यापार नियंत्रण

आवेश

नई दिल्ली, 3 मई, 1984

का. आ. 353 (अ)/सं. ई(सी)ओ, 1977/ए एम (285) :—आयात-नियति नियंत्रण, अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नियति (नियंत्रण), आवेश, 1977 में और आयात संशोधन करने के लिए एन.डी. द्वारा निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को नियति (नियंत्रण) 5वां संशोधन आदेश, 1984 की मंजू दी जाए।
2. खुले सामान्य लाइसेंस-3 में नियति (नियंत्रण) आवेश, 1977 में, क्रम सं. 21क के सामने खुले सामान्य लाइसेंस के कालम-4 में आने वाली शर्त (ख) (1) को

निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“(ख) (1) चपड़ा लाख के निर्यातकों को लाख बाने के निर्यात की अनुमति अप्रैल, 1984—मार्च, 1985 वर्ष के दौरान पोट-लदान किए गए चपड़ा लाख की मात्रा के 10 प्रतिशत की सीमा तक दी जाएगी।”

[मि. सं. 16/1/81-ई, 1 से जारी]

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE  
EXPORT TRADE CONTROL

ORDER

New Delhi, the 3rd May, 1984

S.O. 353(E)|No. E(C)O. 1977|AM(285).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports Control Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Fifth Amendment Order, 1984.
2. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL-3, the existing condition (b)(i) appearing in column 4 of the OGL against S. No. 21A shall be substituted by the following :—

“(b)(i)—Export of Seedlac will be allowed to exporters of Shellac to the extent of 10 percent of the quantity of Shellac shipped during the year April, 1984-March, 1985”.

[Issued from file No. 16(1)|81-EI]

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports